जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा / अधि.अभि.–13 / 2017 / डी– 74 दिनांक : 19/6/17

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जोन 13 के क्षेत्र में सायपुरा से जमवारामगढ़ तक फोरलेन सड़क के निर्माण में आ रहे 348 पेड़ ''जहॉ है जैसा है'' के आधार पर काटकर ले जाने की नीलामी दिनांक 05.07.2017 को वरिष्ठ उद्यानविज्ञ के कक्ष संख्या एन–204, विस्तार भवन में मध्याह्न पश्चात् 3.30 बजे आयोजित की जायेगी। नीलामी से पूर्व बोलीदाता को अमानत राशि के रूप में राशि रूपये 34,960/– सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम डी.डी. द्वारा जमा, करवाने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर सम्पूर्ण राशि 24 घण्टे में जमा करवानी होगी।

नीलामी की शर्ते व अन्य विवरण अधिशाषी अभियन्ता जोन 13 के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है साथ ही जे.डी.ए. की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in >> Notice Board >> General Notice पर देखी जा सकती है।

अधिशाषी अभियन्ता–13
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नीलामी का विवरण :— **1.** नायला मोड़ से इन्द्रगढ़ मोड़ एवं पी.एच.ई.डी. कैम्पस हीरावाला से नयावास तक, रामगढ़ रोड़ (एस.एच.—55) को फोर लेन करने हेतु सड़क की चौडाई बढाने एवं सुदृढ़ीकरण करने का कार्य एवं **2.** नयावास से जमवारामगढ़ तक, रामगढ़ रोड़ (एस.एच.—55) को फोर लेन करने हेतु सड़क की चौडाई बढाने एवं सुदृढ़ीकरण करने का कार्य के एलाईमेन्ट में आ रहे 348 पेडों ''जहॉ है जैसा है'' के आधार पर काटकर ले जाने के संबंध में।

नीलामी स्थल :— वरिष्ठ उद्यानविज्ञ के कक्ष संख्या एन—204

अमानत राशि :— रू. 34,960/—

कार्यावधि :— 30 दिन

<u>नीलामी की शर्ते</u>

1. नीलामी की बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को रू. 34,960/— अमानत राशि के रूप में जमा करवाने होगें। असफल बोलीदाताओं में से उच्चतम व द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की अमानत राशि नीलामी की समाप्ति के पश्चात् वापस दी जायेगी।
2. नीलामी हेतु न्यूनतम बोली की राशि रू. 17,48,000/— होगी।
3. नीलामी में सफल बोलीदाता को नीलामी की उच्चतम बोली की राशि में से अमानत राशि कम करने के पश्चात् अन्तर राशि बोली स्वीकृति की सूचना की दिनांक से 24 घन्टे की समयावधि में डी.डी./चालान द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से जमा करवानी होगी, यदि उच्चतम बोलीदाता निर्धारित अवधि में राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. बोलीदाता को कार्य सम्पादन के दौरान यातायात, विद्युत लाईने, केबल्स, टेलीफोन लाईन आदि के संबंध में पूर्ण सावधानी बरतनी होगी। कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक औजार इत्यादि की व्यवस्था स्वंय बोलीदाता को करनी होगी।
5. नीलामी ''जहॉ है जैसा है'' के आधार पर होगी इसलिये यह माना जायेगा कि बोलीदाता द्वारा पेडों का निरीक्षण बोली से पूर्व कर लिया गया है।
6. पेडों को भूमि तल से एक मीटर की गहराई तक काटा जायेगा। पेडों को काटने के समय एवं परिवहन के दौरान समस्त आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय बोलीदाता को स्वंय करने होगें।
7. काटे गये पेडों को मौके से हटाने की कार्यवाही उसी दिन करनी होगी। पेडों को हटाने के पश्चात् गड्डों को उपलब्ध स्थानीय सामग्री से भरकर आवश्यक मरम्मत उसी दिन करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
8. पेडों को काटने हेतु आवश्यक पडने पर विद्युत आपूर्ति को बन्द कराने की व्यवस्था स्वंय बोलीदाता को करनी होगी।
9. कार्य सम्पादन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
10. जिला कलेक्टर अथवा सक्षम अधिकारी से पेडों के परिवहन की स्वीकृति सफल निविदादाता द्वारा स्वंय के स्तर पर प्राप्त कर कटे पेडों का परिवहन कार्य भी कार्य की समयावधि में पूर्ण करना होगा।

उपरोक्त वर्णित शर्त 1 से 10 की पूर्ण पालना करते हुए सम्पूर्ण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि बोलीदाता कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है या उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तो में से किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो नीलामी को निरस्त करते हुए उसके द्वारा जमा करवाई गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।

अधिशाषी अभियन्ता—13
जविप्रा, जयपूर